

21-2-13  
 2-1-13 के समान फरमावती राजपेदी में ली  
 जमी/शरीफा प्रपत्र व कानून चर्चा के  
 पर सविशेष ध्यान जो पुलिस थाना हनुमानगढ़ 2030  
 में पराई को सुकृति में देके का निवेदन किया है।  
 साक्षात् फरमावती का कवलो वर किमत  
 राजा/तीसीनदा हनुमानगढ़ के फरमावती 14/14  
 के कवलो वर पाया गया कि तहसिलदार  
 दि 27-11-12 को चक्र 13 MD प. 152/15 प. 15  
 में प्रपत्र वर इन्फे, पाईफ इन्फे पुलिस थाना  
 हनुमानगढ़ में जबत करे जमा 29 का वागवा  
 र कि प्रपत्र इन्फे वर किमत थी जबत सुकृति  
 साक्षात् के जराब के वी काबां न हो  
 तहसिलदार हनुमानगढ़ का इन्फे किमे जाते ह  
 वे जबत सुकृति साक्षात् जो पुलिस थाना हनुमानगढ़  
 2030 में किमे जराब के जबत प्रपत्र वर  
 इन्फे सुकृति वर वी साक्षात् वर

तहसिलदार के फरमावती 64 दि 9.1.13 से 25 नवम्बर  
 के फरमावती 84 दि 27-11-12 की फरमावती  
 फरमावती प्रपत्र वर वर के फरमावती  
 के फरमावती साक्षात् वर वर के फरमावती  
 फरमावती प्रपत्र वर वर के फरमावती  
 फरमावती प्रपत्र वर वर के फरमावती  
 के फरमावती प्रपत्र वर वर के फरमावती

**सहायक कलेक्टर**  
**मुख्य उपसहायक**  
**हनुमानगढ़**

17-1-20 मा. गजमठ अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के फरमावती 342  
 दिनांक 26-11-19 के संलग्न निर्णय दिनांक 1-10-13 की प्रतीति  
 सहीत इस न्यायालय का हल अफिलेटर प्राप्त हुआ है  
 निर्णय के अवलोकन से पाया कि अपील अपीलान्त अरक  
 पैम्बी/ अरक बाजरी खारिज हो चुकी है प्रपत्र वर  
 इस न्यायालय से वर्तमान स्तर पर कोई कार्यवाही अपील  
 जमी वर से वाद तहसिलदार इन्फे वर

(कापिल यादव)  
 सहायक कलेक्टर

प्रार्थना पत्र  
 अन्तर्गत घारा 144 सी पी सी  
 संपा. 51 सं. 21/51/CP

Resident  
 W/O  
 20/11/12

वअदालत सहायक

1. बलराम पुत्र श्री चुन्नीराम जाति हनुमानगढ़ राजस्थान।
1. मोहन लाल पुत्र श्री रतीराम जाति हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. ग्राम पंचायत मुण्डा तह. व जिला - हनुमानगढ़

महोदय

प्रार्थना पत्र प्रार्थी निम्न

1. यह कि ग्राम पंचायत मुण्डा 13 एम डी(सी) प.न. 152/स्वीकृति हेतु अप्रार्थी मोहन हाजा द्वारा दिनांक 21.4.20 गया रास्ता स्वीकृत कर दिनांक 21 उत्तर से दक्षिण जो 1 हेतु एक मात्र रास्ता है। फरमा दिया गया जिसके हनुमानगढ़ के अपील प्रसने दिनांक 21.12.2011 फरमाते हुये चक्र 13 एम रास्ता निरस्ती करने की रिकार्ड में दर्ज किये जा

